Vol. 4, Issue: 8, Nov.-Dec. : 2016
ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X

वर्तमान परिदृश्य में बच्चों के मानवाधिकार कानून की प्रासंगिकता

डॉ. तिर्मल सिंह
एसो. प्रोफसर,
बी. एड. विभाग, श्री जे.एन. पी. जी. कालेज, लखनऊ

मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति समझी जाती है। समुचित उत्थान और विकास हेतु है कि उसे जन्म के उपरांत ही कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाएं और यह समाज तथा सरकार का पुनीत कर्तव्य और दूसरे शब्दों में उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सभी साधन और अवसर उपलब्ध कराएं। इसी परिप्रेक्ष में राष्ट्र संघ द्वारा बिना देश धर्म, लिंग और जाति के भेदभाव के संपूर्ण विश्व के प्रत्येक मानव के लिए मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए 'मानवाधिकार घोषणा' के नाम से महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानवाधिकार घोषणा में सभी देशों के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 अधिकारों को प्रदान करने की घोषणा की गई। हमारे देश में भी इसी आधार पर सभी देशवासियों को सहज और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले इन सभी अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयत्न भी किए गए हैं। वास्तव में मानव होने के नाते ही हम सभी को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य नागरिक सुविधाओं एवं सुरक्षा युक्त जीवन जीने का हक है। हमारा यह हक सदैव मिलता रहे और इस हक को कोई नहीं छीन सके यह जनता द्वारा मनोनीत सरकार का कर्तव्य है। भारत सरकार ने इस उत्तरदायित्व को भलीभांति निर्वहन करने हेतु अक्टूबर 1993 में देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया और विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर इस व्यवस्था को अधिक सुधार एवं संगठित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार आयोगों का मुख्य उद्देश्य, दश के सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने संबंधी व्यवस्था की निगरानी करना तथा अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को समुचित दंड दिलाकर भविष्य में इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरावृत्ति रोकना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार घोषणा के आधार पर संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त 30 प्रकार के अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया ळे

1 इसमें आर्थिक अधिकारों को रखा गया है जिनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, मकान, रोजगार और सामान्य जीवन स्तर सुनिश्चित कराना है। इन सभी अधिकारों को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराना संबंधित देशों की सरकारों का मूलभूत दायित्व भी बताया गया ळें
2 इसमें राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है जिनके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबर का माना गया है। इसके अंतर्गत लोगों को विचार व्यक्त करने का अधिकार गोपनीयता राष्ट्रीयता चुनाव और शासन में भागीदारी का अधिकार तथा संगठन बनाकर शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है।

3 इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को रखा गया हैं। जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी प्रदान की गई है। इस प्रकार मानवाधिकार की परिधि में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश करके यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग अथवा अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार न किया जाए। तथा सभी व्यक्तियों को समुचित शिक्षा रहन–सहन जीवन यापन मान मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ समाज में रहने के समान रूप से अवसर प्रदान किया जाए।

हमारे देश में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक अधिकारों स वंचित रहे लोगों महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों, बच्चों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को समानता के सिद्धांत के आधार पर उनके सभी अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर संविधान सम्मत विभिन्न कानून बनाए गए और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रयत्न भी किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बच्चों को उनके सभी अधिकार दिलाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत हैं। यद्यपि चाहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को महिलाएं अथवा बच्चे हो पिछड़ी जाति के लोग हो अल्पसंख्यक हो अथवा वृद्ध या विकलांग हो सर्वप्रथम वह मानव है और मानव होने के नाते वह सभी अधिकार उन्हें स्वयं प्राप्त हो जाए।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान

मानवाधिकारें की रक्षा के लिए देश में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती है और इन उल्लंघन कर्ताओं के लिए यथा प्रावधान दंड दिलाने का प्रयास किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट 1993 के अनुसार देश में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित मामलों निपटाने हेतु विशेष अदालतों का गठन भी किया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार राज्यों में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित सुनवाई नयी विशेष अदालतों में सरकारी अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति भी अनिवार्य को गई हैं। अब अनेक राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया जा चुका है। इसमें वर्तमान में 65 विशेष अदालतें के उल्लंघन से संबंधित ओके निपटारे के लिए गठित की गई है राष्ट्रीय मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान ह।

तत्कालीन न्यायमूर्ति वेंकटचलैया के अनुसार प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की देश भर की कुल शिकायतों में से लगभग आधी शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होती हैं। इतने अत्यधिक राष्ट्रीय प्रावधानों के बाद भी आज भी अनेकों उल्लंघन होते हैं और दिन में सबसे ज्यादा घृणित उल्लंघन बच्चों पर हो रहे हैं जिन्हें वश या वेवश स्वीकार किया जाता है और इसमें उल्लंघन करने वालों को पर्याप्त सजा भी नहीं दी जाती है। ताकि भविष्य में उनको देखकर अन्य लोग ऐसी घृणित कर्म ना करें जो कल के भारत का कर्णधार है वह मानवीय कुकृत्यों से बच सकें देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सके।

मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं

बालक का जन्म परिवार में होता है और वहीं से उसके मानवीय अधिकारों का हनन होने लगता हैं। अभिभावकों की भी महति होती है बालक अपने माता पिता से किसी वस्तु की मांग करता है तो लगभग 80 प्रतिशत अभिभावक बच्चों को अपशब्द कह कर मना कर देते हैं। इसका बालक के दिमाग पर कुप्रभाव पड़ता है इसमें मानवीय अधिकारों का भी हनन होता है।

काफी समय पूर्व लखनऊ में एक घटना छपी जिसमें डॉक्टर वाजपेई ने अपनी पत्नी को घर की चाहरदीवारी के अंदर बांधकर रखा तथा बच्चों को स्कूल की शिक्षा से वंचित करा है इस कृत्य के बावजूद कानून असहाय बना अलमारी में किताबों की शोभा बढ़ाता रहा।

इसी प्रकार की एक घटना जिला फर्रुखाबाद की है जिसमें एक अध्यापिका द्वारा दूसरे के बच्चा को गोद ले कर नैतिक रुप से दबाव डालकर बच्चों को नौकर से भी बदतर स्थिति में रखती है। उनके द्वारा गोद ले कर कई बच्चों पर यह कृत्य किया जा चुका था लेकिन इस घटना का पटाक्षेप तब हुआ जब एक बच्चे ने भागकर पुलिस को सारी दास्तान सुनाई। इसी प्रकार की एक घटना से बच्चों के मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी तरह के मानवाधिकारों का हनन हुआ।

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण में एक घटना छपी की तूतीकोरिन के एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 के 35 छात्रों को अपनी अध्यापिका के पद से रु 200 गायब होने के उपलक्ष में अपनी हथेलियों पर जलती मोमबत्ती रखनी पड़ी तथा बाद में हुए सभी निर्दोष साबित हुए। इस अमानवीय कृत्य से 7 बच्चों की हथेलिया काफी जल गई फिर भी कानून असहाय बना रहा।

एक घटना 2016 की हैं कानपुर नगर में किसी मंत्री के स्वागत के लिए बच्चों को पंक्ति बनाकर खड़ा कर दिया गयां। जिसमें कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसे कुकृत्यों के लिए मानवाधिकार कानून देश की शोभा बढ़ा रहा था।

बच्चों के ऊपर मानवाधिकार हनन के ऐसे हजारों कुकृत्य सामने आएंगे। जैसे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फर्रुखाबाद का वीडी उद्योग और कढ़ाई उद्योग उद्योग तथा घरों में काम करके अपना जीवन आधा पेट भोजन करके गुजारते हैं। इसी कड़ी में यदि शहरी कूड़े में प्लास्टिक अधिक होते बच्चे अपनी जिंदगी के अहम सही समय को बर्बाद कर जीवन भर के लिए पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं यह भी मानवाधिकार कानून असहाय प्रतीत होता रहा है।

आज आम घटना जो अध्यापकों से जुड़ी है। जिसमें कक्षा शिक्षण के दौरान अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराते। इसके अलावा हमेशा छात्रों पर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों को लेकर दबाव बनाया जाता है। इसक लिए आज आए दिन घटनाएं सामने आती है। क्या अध्यापक इस तरह से छात्रों को शिक्षा से वंचित करेगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय प्राथमिक शिक्षा दम तोड़ती नजर आ रही है। इसके लिए

अध्यापक एवं राज्य सरकार ही जिम्मेदार है और इन सब घटनाओं पर विचार करें तो मानवाधिकार कानून असहाय बना है।

उपरोक्त घटनाओं से विदित है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की देशभर में काफी अधिक संख्या में घटनाएं घटित होती है। लेकिन इसमें से कुछ ही घटनाओं को पंजीकृत कराया जाता है। बढ़ती हुई साक्षरता तथा इस दिशा में लोगों में बढ़ती हुई जागरूकता से शिकायतों का पंजीकृत कराने का कार्य अधिक मात्रा में किया जा रहा है। कानून असहाय होने के बावजूद इस दिशा में पढ़े लिखे और जागरूक लोग स्वयंसेवी संगठनों, महिला संगठनों विभिन्न राजनीतिक दलों जागरुक कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के प्रयासों के फलस्वरूप आज ना केवल मानव अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता में पर्याप्त वृद्धि हुई ळें बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन को एक मामलों को बड़ी तत्परता से राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की संख्या में वृद्धि दृष्टिगत होती है। लेकिन वास्तव में उल्लंघन कर्ताओं के हस्तक्षेप का भाव तेजी से बैठा और आशा है कि देश में मानवाधिकारों के हनन की प्रवत्ति पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान के लिए इसको और कारगर बनाया जाए तो बच्चों एवं समाज के अन्य वंचित वर्ग को भी लाभ पहुंच सकता है।

उपाय

- देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की जानकारी जन–जन तक पहुंचाई जाए।
- मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने तथा इनके उल्लंघन कर्ताओं के प्रति दंडात्मक कार्यवाही कराने के लिए प्रयत्न करना।
- विशेष रूप से मीडिया स्वयंसेवी संगठनों तथा महिला संगठनों जो समाज के प्रति संवेदनशील है को प्रयास करने की जरूरत है। यदि मीडिया अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने लगे तो मानवाधिकार हनन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वह अपने संचार माध्यमों के अपने बनाए। कानून की जानकारी जन–जन तक पहुंचाएं एवं शिकायत आने पर उसका तत्काल निर्णय करें तथा अन्य न्यायालयों की तरह एक मुकदमे का फैसला होने में इतना ज्यादा समय न लगाया जाए कि लोगों की इस कानून से आस्था ही हट जाए।

मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए जिन लोगों की नियुक्ति की गई है उनको अपना दायित्व भली–भांति मालूम होना चाहिए। समय–समय पर प्रशिक्षण भी होते रहना चाहिए सरकार को चाहिए कि इन कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा तैयार करते समय संविधान एवं कानून विशेषज्ञों के साथ–साथ मानवाधिकारों से जुड़े संगठनों स्वयंसेवी संस्थाओं महिला संगठनों आदि को शामिल करना चाहिए ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए जिससे मानवाधिकारों की वंचना को सही तरह से रोका जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. महरोत्रा ममताः महिला अधिकार और मानवाधिकार
२. राजपूत जगमोहन सिंहः शिक्षा की गतिशीलता नवाचार एवं संभावनाए

3. सिंह वी.पी.: भारत में मानवाधिकार समस्या
4. त्रिपाठी ,मधुसूदन (2008). भारत में मानवाधिकार, नई दिल्ली नवीनतम संस्करण, ओमेगा प्रकाशन ।